...यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर जिला अलवर

...ल नंबर

अधिवक्ता को 2/118/2022

तारीख रजू.........................

मनोहरी **बनाम** शिवचरण वगैरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20.05.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया । प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के, पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीगण को जर्ये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं0 129/527, 130, 131, 135, 136/481, वाके ग्राम गालाखेडा तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में 1/3 हिस्से मे कब्जे काश्तकारी कार्य में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करे। जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे तथा ऐसा कोई कृत्य ना करें जिससे साय के शांतमय उपयोग एवं उपभोग मे व्यवधान पैदा हो। मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकिल प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 07.06.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये रजि0 डाक नोटिस तलब हो पत्रावली दिनांक 07.06.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
7/6/22	वकील प्रार्थी उपस्थित [illegible] तलबी रजि0 डाक दिनांक 4/8/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अमल ... की ...
6/8/22	तलबाना उप0/P.O. Compliance ... बाबत दिनांक 13/10/22 को पेश हो।	
01/09/22 मनोहरी	पत्रावली आज वकील प्रार्थी के प्रार्थना-पत्र पर तलब होकर पेश हुई। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र पेश कर पूर्व जारी स्थगन आदेश दिनांक 20.5.22 में आराजी खसरा नं0 130, वाके ग्राम गालाखेड़ा को प्रार्थना-पत्र 212 RTA में से खसरा जारी स्थगन में तर्क कराना चाहते है। अतः प्रार्थना-पत्र व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र शामिल मिसल किया गया। अतः प्रार्थना 212 RTA में जारी स्थगन दिनांक 20.5.2022 से आराजी खसरा नम्बर 130, वाके ग्राम गालाखेड़ा तह0 कठूमर को तर्क किया जाता है। एवं शेष स्थगन आदेश यथावत रहेगा। पत्रावली नियत दिनांक को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
13/10/22	पत्रावली आज मुक्त बाद के साथ पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं आये। वकील व उनके प्रार्थी को बार-2 आवाज दिलाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अतः प्रकरण 212 RTA वकील वादी के अदम पैरवी - अदम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल हुई होकर नकल के करने बाद तकमील मुक्त बाद के साथ संलग्न रहे। सुनाया उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	